छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 183 **प्रकरण क्रमांक–SM-ADV-2023-02049**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''श्री द्वारिका बिजनेस सेंटर'', पता–औषधि वाटिका, मेडिकल कॉम्पलेक्स के पास, डूमरतराई, जिला–रायपुर (छ.ग.),

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05/01/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट ''श्री द्वारिका बिजनेस सेंटर'' पता–औषधि वाटिका, मेडिकल कॉम्पलेक्स के पास, डूमरतराई, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें संबंधित प्रोजेक्ट अथवा रियल एस्टेट एजेंट का छ.ग. रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर उल्लेखित नहीं है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 (1) के प्रावधान अनुसार रेरा में पंजीयन के बिना किसी भी भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति से विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा किराये के लिये व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। – अतः प्राधिकरण ने अनावेदक द्वारा प्रमोटर के दायित्वों का अधिनियम अनुसार निर्वहन नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा–59 अंतर्गत दिनाँक 29.11.2023 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया। – प्राधिकरण द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ''श्री द्वारिका बिजनेस सेंटर'' छ.ग. रेरा में पंजीयन नंबर–PCGRERA 171022001543, दिनाँक 17.10.2022 के रूप में पंजीकृत कराया गया है। अनावेदक द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रोजक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा वेबपोर्टल का उल्लेख नहीं किया गया है, जो भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–59 अंतर्गत प्रोजेक्ट की	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 183 **प्रकरण क्रमांक–SM-ADV-2023-02049**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध "श्री द्वारिका बिजनेस सेंटर", पता–औषधि वाटिका, मेडिकल कॉम्पलेक्स के पास, डूमरतराई, जिला–रायपुर (छ.ग.),

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत तक की शास्ति तथा तीन वर्ष तक के कारावास से दंडणीय है। चूँकि अनावेदक का उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–59 का उल्लंघन है, इसलिये अधिनियम की धारा–59 अंतर्गत रूपये 10,000/– की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, एक माह के भीतर शास्ति की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करने सुनिश्चित करे। अन्यथा अनावेदक के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जावेगी। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– **(धनंजय देवांगन)** **सदस्य** सही/– **(संजय शुक्ला)** **अध्यक्ष**	